

ओमप्रकाश विधानी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)

नं0 व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 181/2020

13.11.20

अपीलार्थी ओमप्रकाश विधानी पुत्र नानकराम विधानी, पता बी-37, उम्मेद क्लब रोड़, राईका बाग, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.08.20 में उसके द्वारा (1) तत्कालीन नायब तहसीलदार विवेक व्यास के कार्यकाल के दरमियान श्रीमती गिरजा देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण निवासी उम्मेद चौक जोधपुर ने म्यूटेशन नहीं भरवाने हेतु चौखा पटवारी एवं नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत आवेदन की प्रतिलिपि एवं समर्थन में दिये गये संलग्न दस्तावेजात् की जानकारी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

